

(रूपये 40000 /— तक वार्षिक आय वाले परिवार जो गम्भीर रोगों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि चाहते हैं हेतु आय प्रमाण पत्र का प्रारूप)

परिवार का आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्रीनिवासी
.....के परिवार की समस्त स्रोतों से सकल
वार्षिक आय शब्दों मेंरु. हैं।

तहसीलदार
(हस्ताक्षर मय सील)

नोट :- परिवार की परिभाषा में स्वयं/पत्नि/माता-पिता/बालिग पुत्र।
dsadfds